UPBJ010106992022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06074

सेशन्स केस संख्या 1791/2022

सरकार **बनाम** **बाबूराम उर्फ बाबू**

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **बाबूराम उर्फ बाबू** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 07.05.2022 को समय 19:00 बजे वहद ग्राम बल्दिया थाना हल्द्वौर, जनपद बिजनौर में आपने वादी मुकदमा संजना से पॉच हजार रूपये की अवैध रूप से मॉग की पूर्ति हेतु सदोष परिरोध किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 342 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा संजना मृत्यु का भय दिखाकर उससे पॉच हजार रूपये की मॉगकर उद्दापन किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 386 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा संजना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा संजना को सदोष परिरोध कर अपमानित करने के आशय से, उससे पॉच हजार रूपये की मॉग करते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए की कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3(1)द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा संजना को संदोष परिरोध करते हुए, पॉच हजार रूपये की मॉग की तथा उक्त मॉग की पूर्ति न करने पर जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.03.28 17:10:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाति की सदस्या है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 28–03–2023 (अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 28–03–2023 (अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010106992022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 1791/2022

सरकार बनाम बाबूराम उर्फ बाबू

<u>28–03–2023</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त बाबूराम उर्फ बाबू मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त बाबूराम उर्फ बाबू के विरूद्व धारा 342,386,504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 28–03–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त बाबूराम उर्फ बाबू के विरूद्व धारा 342,386,504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –04–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 28–03–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।